



HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर

दिनांक 17.05.2023

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को अधिकतम 06 वर्ष के कारावास व 2,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई:-

आज दिनांक:- 17.05.2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 360/2017 धारा- 411,413 I.P.C. में नामजद अभियुक्त राम कुमार पुत्र मलखान राजपूत निवासी वसवारी थाना- मुस्करा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को राम कुमार पुत्र मलखान राजपूत को 06 वर्ष के कारावास व 2,000 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।